|| NAMO TITTHASSA ||

GACCHADHIPATI (SPIRITUAL SOVEREIGN)
JAINACHARYA SHRIMADVIJAY
YUGBHUSHANSURI
(PANDIT MAHARAJ SAHEB)

[मूल गुजराती पत्र का अनुवाद]
विक्रम संवत 2077, अश्विन शुक्ल 1
दिनांक: 07 अक्टूबर 2021
बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई
Ref No. : 202110G-02

सकल श्रीसंघ की जानकारी हेतु ज्ञापन

विषय : श्री शत्रुंजय तीर्थ संबंधित 19 अगस्त 2021 को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का समीक्षात्मक एवं तटस्थ विश्लेषण

भाग – 3 (अंतिम भाग)

परम् पावन श्री सिद्धाचल महातीर्थ जैनधर्म का उत्कृष्ट पवित्र तीर्थक्षेत्र है । इस तीर्थ के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दि. 19 अगस्त 2021 को दिए गए फैसले के तटस्थ विश्लेषण करने का कार्य चालु है, जिसके अंतर्गत भाग-1 में शत्रुंजय तीर्थ की व्यवस्थापक आनंदजी कल्याणजी पेढ़ी द्वारा उपरोक्त मामले में दाखिल किए गए एफिडेविट का तटस्थ विश्लेषण किया था । भाग-2 में अदालत के फैसले का तटस्थ विश्लेषण किया था । अब यहाँ भाग-3 में फैसले में चर्चित ऐतिहासिक दस्तावेज़ों का जैनशासन के सत्तातंत्र के दृष्टिकोण से तटस्थ विश्लेषण कर श्रीसंघ के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

फैसले के अंतर्गत चर्चित ऐतिहासिक दस्तावेज़ और उनमें से फलित होता जैनशासन का सत्तातंत्र :

फैसले के अनुच्छेद नं. 28 में श्री शत्रुंजय महातीर्थ संबंधित ऐतिहासिक जानकारियों का वर्णन करते हुए हीरविजयसूरि महाराजा के सम्मान में अकबर बादशाह द्वारा दिया गया तीर्थरक्षा संबंधित फरमान न्यायाधीश को रोचक लगने पर अंग्रेजी अनुवाद के रूप में उद्धरित किया गया है । एक मुसलमान बादशाह के हाथों से दिया गया फरमान भी यदि सावधानीपूर्वक लिखाया गया हो तो वह हमारे अधिकारों को फौलादी सुरक्षा दे सकता है - इस बात का यह ज्वलंत उदाहरण है । इसका विशेष विवरण हम फरमान के चुनिंदा मुद्दों द्वारा ही देखेंगे ।

‘Be it known to the officers of the present and the future times, the Governors,..... as well as other countries in (our) dominion ……’

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, India
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

फरमान की शुरूआत करते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि, 'हमारी पूरी सल्तनत के वर्तमान और भविष्य के शासकों आदि को बताया जाता है कि .....'

याने सिर्फ वर्तमान के नहीं, बल्कि भविष्य के भी उनके राज्य के सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है, जो इस फरमान के अनेक बचावमार्गों को बंद कर देता है ।

उसके बाद फरमान का मुख्य भाग कहता है कि,

'.....his request was really a just and reasonable one, and we do not find it contrary to law,(it being the rule of the worshippers of God to preserve all religions), and as it appeared to us upon enquiry and we are satisfied that those mountains and places of worship appertain to the religion of Jain Setambari, therefore, in compliance with his request, we grant, and bestow upon Heer Bijor Soor, Acharj of the Jain Setambari religion, the mountain Sidhdhachal, the mountain Girnar, the mountain Trunga, the mountain Kessuria-nath and the mountain Abhoo laying in the country of Goozrat, the five mountains of Rajgiree and the mountains of Somed Sekur alias Paruasnauth, lying in the country of Bengal together with all places of the worship and pilgrimages below the mountains, wherever those places of worship be within our empire and dominion….'

याने '.... उनकी अपेक्षा वास्तव में न्यायी और योग्य होने से और हमें वह कानून से अविरोधी लगने से, (भगवान के भक्तों का नियम है कि सभी धर्मों की हिफाज़त करें) और जाँच करने पर हमें पता चला कि, और हम संतुष्ट है कि, वे पर्वत और उपासना स्थल श्वेतांबर जैनों के हैं । अत: हम उनकी अपेक्षा के अनुसार गुजरात स्थित सिद्धाचल पर्वत, गिरनार पर्वत, तारंगा पर्वत, केसरियाजी पर्वत और आबू पर्वत, राजगृही के पाँच पर्वत और बंगाल में स्थित पारसनाथ नाम से प्रसिद्ध सम्मेतशिखर पर्वत, उन पर्वतों के नीचे स्थित तीर्थस्थान एवं उपासना स्थल सहित हमारी सल्तनत और राज्य में जहां पर भी श्वेतांबर जैनों के तीर्थस्थान एवं उपासनास्थल हैं, उन्हें हम श्वेतांबर जैन परंपरा के हीरविजयसूरि के स्वीकारते हैं और इनके द्वारा सम्मानित करते हैं..... ।

यहाँ फरमान के रूप में आदेश दिए जाने के बावजूद स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली ऐसी सावधानी रखी गई है कि, 'किसी भी प्रकार से ये तीर्थस्थान आदि राज्य के अधीन थे और वे आचार्य भगवंत को दिए गए हैं' – ऐसा अर्थ न निकले । उलटा, फरमान स्पष्ट रूप से कहता है कि, '.....जाँच करने पर हमें पता चला ... वे पर्वत और उपासनास्थल श्वेतांबर जैनों के हैं...' '....श्वेतांबर जैनों के तीर्थस्थान एवं उपासनस्थल हम श्वेतांबर जैन पंथ के हीरविजयसूरि के स्वीकारते हैं और इनके द्वारा सम्मानित करते हैं.....' याने मुगलसम्राट ने भी माना है कि पहले से ही ये सभी स्थान श्वेतांबर जैनों के ही है और इस बात को फिर स्वीकार करके इस फरमान के द्वारा आचार्य महाराज की मालिकी स्वीकृत की है ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

इस बात की अधिक स्पष्टता करते हुए फरमान में कहा गया है कि,

'.....Furthermore, although these mountains and the places of worship and pilgrimage, which are the places of (followers of the) Jain Setambari religion, are given to Heer Bijoy Soor, yet in reality they are of the followers of the Jain Setambari religion…..'

अर्थात् – '.... इतने श्वेतांबर जैन पर्वत, तीर्थस्थान एवं उपासनास्थल जो श्वेतांबर जैन धर्म के हैं, वे हीरविजयसूरि को दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में तो वे सभी श्वेतांबर जैन पंथ के अनुयायियों के हैं...'

कोई 'दिए गए' शब्द का अनर्थ न कर दे इसलिए फरमान में ही एकदम स्पष्ट कर दिया गया है । फिर भी अफसोस की बात है कि फैसले के अनुच्छेद नं. 28 में सिर्फ इतना ही कह दिया गया है कि शत्रुंजय आदि तीर्थ हीरविजयसूरि को दिए गए हैं । इसका अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि 'तीर्थ पहले राज्य के थे और फिर हीरविजयसूरि को दिए गए' ।

अब फरमान की वैधता की अवधि, फरमान के ही शब्दों में देखते हैं –

'....may this Firman shine like the sun and moon amongst the followers of the Jain Setambari religion, as long as the sun may shine in the day with his resplendent rays, and the moon make the night delightful by her light. Let, no one offer an opposition or make objection to the same,…..'

याने '....जब तक सूर्य दिन को और चाँद रात को प्रकाशित करे तब तक यह फरमान श्वेतांबर जैनों में सूर्य एवं चाँद की तरह चमकता रहे....' मतलब इसकी वैधता यावच्चंद्रदिवाकरौ तक निश्चित कर दी गई है । अत: कुछ समय बाद उसे फिर से मान्य कराने की आवश्यकता नहीं रहती । और तो और, साथ में यह भी लिखा गया है कि '.....कोई भी व्यक्ति इस फरमान का विरोध न करे एवं इस विषय पर आपत्ति न उठाएँ.....'

अंत में और स्पष्टता के लिए आदेश दिया गया है कि -

'.....let the orders contained in (this) Firman, which commands obedience, by (inhabitants of) the world, be acted upon and carried out, and let none depart from the same, and require a new Sunnad (Grant)…..'

याने '....विश्व के निवासी लोग इस फरमान के आदेशों का पालन करें, इसके अनुरूप व्यवहार करें, इससे अलग न हो और इन आदेशों को पुन: सनद की ज़रूरत नहीं है.....' इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि इस आदेश को पुन: पुन: निश्चित कराने की ज़रूरत नहीं है । संक्षेप में कहे तो लगभग बच-निकलने की जगह ही न रहे – इस प्रकार मज़बूत ड्राफ्टिंग की किलेबंदी के बीच हमारे तीर्थों के अधिकारों को फौलादी सुरक्षा दी गई है ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

इस पूरे फरमान का बराबर अवलोकन करे तो एक महत्त्वपूर्ण बात नज़र आएगी । इसमें ऐसा समीकरण बांधा गया है कि ये तीर्थ आदि हीरविजयसूरि महाराज को दिए गए हैं यानि वे श्वेतांबर जैनों के हैं, श्वेतांबर जैन संघ के हैं। हीरविजयसूरि एक व्यक्ति है और श्वेतांबर जैन एक समूह है – इन दोनों का समीकरण कैसे बांधा जाएँ ?

चलिए, जैनशास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं ।

महावीरस्वामी के हाथों दीक्षित शिष्य श्री धर्मदासगणि महाराजा उपदेशमाला ग्रंथ में कहते है कि –

कइया वि जिणवरिंदा, पत्ता अयरामरं पदं दाउं ।

आयरिएहिं पवयणं, धारिज्जइ संपयं सयलं ।।12।।

याने मोक्षमार्ग दिखाकर तीर्थंकर मोक्ष में पधारे और उनके बाद आचार्य सकल प्रवचन याने शासन को धारण करते हैं ।

इसका स्पष्टीकरण करते हुए टीकाकार श्री सिद्धर्षि गणि लिखते हैं कि –

'.....तद्विरहे पुनराचार्यैः प्रवचनं तीर्थं चातुर्वर्ण संघरूपमागमरूपं च.....संपूर्णं च धार्यते ध्रियते....'

'....तीर्थंकरों के विरह में प्रवचन या तीर्थ जो चतुर्विध संघ स्वरूप अथवा आगम स्वरूप है उसे संपूर्ण रूप से आचार्य धारण करते हैं ....'

अन्य टीकाकार श्री रामविजयजी तो भारपूर्वक कहते हैं कि -

'....संप्रति तीर्थंकरविरहेण सकलं प्रवचनमाचार्ये तिष्ठति, तीर्थंकराभावे आचार्या एव प्रवर्तका....'

याने '....फिलहाल तीर्थंकरों के विरह में संपूर्ण प्रवचन (शासन) आचार्यों में स्थित है । तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में आचार्य ही शासन के प्रवर्तक है....'

यहाँ ग्रंथकार भारपूर्वक आचार्यों को ही शासन के, शासन अंतर्गत गिने जानेवाले सभी घटकों के मालिक, शासन के मूलाधार, शासन के प्रवर्तक याने शासन के मुख्य अधिकारी के रूप में बता रहे हैं ।

उपरोक्त शास्त्रवचनों से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आचार्य भगवंत शासन के स्वामी है, चतुर्विध श्रीसंघ के कर्णधार है । श्रीसंघ की धुरा को धारण करते हैं । अतः 'आचार्य भगवंत को दिए गए = श्रीसंघ के है' ऐसा समीकरण फरमान में बांधा गया है, वह जैनशासन की मर्यादानुसार ही है । आचार्य भगवंत ही शासन के सभी तीर्थों, धर्मस्थानों आदि के मालिक, श्रीसंघ के कर्णधार, श्रीसंघ के धारक, आज की भाषा में कहा जाएँ तो श्रीसंघ के मुख्य प्रतिनिधि है । यही शास्त्राज्ञा है, शास्त्रों की परम्परा है ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

यह बात फरमान में सहजता से गूंथ ली गई है । इस आधार पर यह समझा जा सकता है कि उस वक्त आचार्य भगवंत का स्थान शासन के स्वामी, श्रीसंघ के मुख्य कर्णधार - मुख्य प्रतिनिधि के रूप में अबाधित था । इसलिए उनके नाम पर मुख्य तीर्थों आदि की मालिकी स्वीकारता हुआ उपरोक्त फरमान अकबर ने दिया था ।

हम जिस फैसले के अंतर्गत ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा कर रहे हैं उस फैसले में एक पुस्तक के अंश अदालत को मान्य हकीकत के रूप में उद्धृत किए गए हैं । पुस्तक का नाम है – 'Imperial Mughal Farmans in Gujarat', जिसके लेखक है खान बहादुर M.S.Commissariat । इस लेखक ने भी उपरोक्त फरमान के भावार्थ को यथार्थ रूप से पकड़ा है । जिसका उल्लेख फैसले के पृ. 114 में किया गया है ।

"….in as much as the Acharya was regarded as the representative of the Jain Svetambar community for whose benefit the order was issued…."

अर्थात् ".....क्योंकि आचार्य भगवंत जैन श्वेतांबर समुदाय के प्रतिनिधि गिने जाते थे, जिनके (श्वेतांबर जैन समुदाय के) लाभ हेतु फरमान दिया गया था...." ।

फरमान देनेवाला मुस्लिम बादशाह, उसका विश्लेष्ण करनेवाला मुस्लिम लेखक - ये दोनों अच्छी तरह से समझते थे कि आचार्य भगवंत चतुर्विध जैन संघ के मुख्य प्रतिनिधि है । अतः उनके नाम पर तीर्थों की मालिकी मंजूर की जानी चाहिए ।

आगे बढ़ते हुए वे मुस्लिम लेखक उस फरमान की चर्चा कर रहे हैं जिसमें तमाम धर्मस्थानों की मालिकी विजयसेनसूरिजी महाराजा एवं विजयदेवसूरिजी महाराजा की स्वीकारी गई है ।

पहेले हम फरमान के शब्द देखते हैं । और फिर उसका भावार्थ समझेंगे ।

".....may it be known (To) The noble Governors and the Officers….(That as) Baji Sen Soor and Baji Dev Soor and Khoosh faham Nand Baji Paran have temples and Dharamshalas in every place and every town…..No one shall put up in the temples and Dharamshalas of that community and no one shall enter into them without permission. And should they wish to rebuild them, no one shall oppose them….."

अर्थात् '....शासकों एवं अधिकारियों को यह सूचित किया जाता है कि....विजयसेनसूरिजी, विजयदेवसूरिजी एवं नंदविजयजी के सभी स्थानों एवं सभी गाँवों में मंदिर और धर्मशालाएँ है... (शासक आदि) कोई भी उनकी कम्युनिटी के मंदिरों एवं धर्मशालाओं में ठहरे नहीं और उनकी अनुमति बगैर कोई भी उनमें प्रवेश न करें और यदि वे उन धर्मस्थानों का पुनर्निर्माण कराना चाहते हो, तो कोई भी उनका विरोध न करें.....'

अकबर के फरमान की तरह ही जहाँगीर द्वारा दिए गए उपरोक्त फरमान पर गौर किया जाएँ तो साफ तौर पर पता चलेगा कि संपूर्ण निष्परिग्रही धर्माचार्यों के ही नाम पर तीर्थों आदि के फरमान देने या लेने का कारण यही था

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

कि आचार्य ही समग्र शासन – तीर्थों आदि के मालिक, चतुर्विध संघ के नायक – संघ के मुख्य प्रतिनिधि है - ऐसी हमारी परंपरा और शास्त्रीय व्यवस्था है ।

ऐसी ही बात उस मुसलमान लेखक ने भी विश्लेषण के रूप में लिखी है, जिसका उल्लेख फैसले के पृ. 115 पर किया गया है ।

".... issues order to the Governors and Jagirdars of the Subah of Gujarat that no one should, without permission, enter or put up at the temples and the Dharamshalas of the Jain community, which were under the control of Vijaysen Suri and Vijaydev suri……"

याने '....शासक आदि भी जैन कम्युनिटी के मंदिरों आदि में उनकी अनुमति बगैर प्रवेश न करें । जैन समुदाय के वे मंदिर आदि विजयसेनसूरिजी और विजयदेवसूरिजी के नियंत्रण में थे...."

यहाँ पर भी 'सकलं प्रवचनमाचार्ये तिष्ठति....' का भाव अच्छी तरह से ध्वनित होता है ।

वास्तव में, श्रमण भगवान महावीर ने 'जिन' बनकर याने कि विश्वविजेता बनकर वर्तमान धर्मतीर्थ की स्थापना की । फिर उन्होंने धर्मतीर्थ की संपूर्ण रूप से अनुज्ञा गणधर भगवंतों को दी याने धर्मतीर्थ के सर्वाधिकार गणधरों को सौंपे ।

हमारा आवश्यकनिर्युक्ति आगम कहता है कि **".....ततो भगवमणुण्णं करेइ....ताहे सामी पुव्वं तित्थं गोयमसामिस्स दव्वेहिं गुणेहिं पज्जवेहिं, अणुजाणामि त्ति भणति, चुण्णाणि य से सीसे छुहई...."**

याने "उसके बाद भगवान अनुज्ञा करते हैं ..... उस अवसर पर स्वामी सर्वप्रथम 'गौतमस्वामी को द्रव्य, गुण और पर्याय से तीर्थ की अनुज्ञा प्रदान करता हूँ' - यह कहकर उनके मस्तक पर चूर्ण का निक्षेप करते हैं...."

आगमवचनों का भावार्थ यह है कि भगवान अपने उत्तराधिकारी गणधर भगवंतों को तीर्थ=शासन की पूर्ण रूप से अनुज्ञा देते हैं=अधिकार सौंपते हैं । उस धर्मसाम्राज्य की विरासत गणधरों के पट्टधरों को मिलती है । फिर वे उनके पट्टधरों को सौंपते हैं । इस प्रकार शासन के सर्वाधिकारों की विरासत बहती बहती गणधर भगवंतों के क्रमिक पट्टधरों के स्वामित्व में आती है । इस वास्तविकता का प्रतिबिंब हम उपरोक्त दो फरमानों में देख चुके हैं ।

लेकिन अब इतिहास का रूख बदलता है । अब तक उपरोक्त फरमानों में जो देखा उससे विपरीत दिखाई देगा। जिनशासन की जो प्राणवान् मर्यादाओं का पालन दो फरमानों में दिखाई दिया था, वो अब अदृश्य होता दिखाई देगा ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

खान बहादुर M.S.Commissariat लिखित 'Imperial Mughal Farmans in Gujarat' पुस्तक जिसका उल्लेख फैसले में किया गया है, उस पुस्तक के जो अंश फैसले के पृ. 121 पर दिखाई देते हैं, वहां वह मुसलमान लेखक कहते है कि...

'…..four Faramans….Shantidas stands forth in all these documents as the principal, if not the sole, representative of the wealthy and powerful Svetambar Jain community of Western India, and the Emperor confers upon him and his heirs in that capacity,…. '

याने '....(शत्रुंजय पर्वत तथा पालीतणा और अन्य तीर्थों की ग्रान्ट जिस फरमान में दी गई है) उन सभी दस्तावेज़ों में शांतिदास सेठ भले एक मात्र नहीं, परंतु पश्चिम भारत के समृद्ध एवं शक्तिशाली श्वेतांबर जैन समुदाय के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर उभर आते हैं । शांतिदास सेठ की इसी हैसियत से मुगलसम्राट ने उन्हें और उनके वंशजों को उपरोक्त फरमान दिए हैं....'

यहाँ जैनशासन के व्यवस्थातंत्र में मानों भूचाल आया, जिसके कारण परापूर्व से जैन संघ के अधिकार तले रहे तीर्थ आदि शांतिदास सेठ को सौंप दिए गए एवं प्राप्त कर लिए गए ।

कुछ फरमानों में मात्र शांतिदास सेठ के ही नाम पर वे अधिकार दे दिए गए हैं । कुछ फरमानों में राज्य के गुलाम के तौर पर शांतिदास सेठ को तीर्थों के अधिकार दिए गए हैं । किसी फरमान में श्रावक समुदाय के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर शांतिदास सेठ को अधिकार दे दिए गए हैं । गौरतलब है कि संघस्थापना के समय से चतुर्विध श्रीसंघ के वर्चस्व के अधीन रही हुई वह पवित्र विरासत अब किसी श्रावक या श्रावक समुदाय के हाथों में आ गई या ले ली गई ! अर्थात् शासन की अनमोल विरासत की गुप्त रूप से हेराफेरी की गई !

इस वास्तविकता का अंदाज़ फरमानों के शब्दों से लगाते हैं । गुजरात के तत्कालीन सूबा राजकुमार मुरादबक्ष का दिया गया सन् 1656 का फरमान देखते हैं :

'....Santidas, the Jeweler, has represented…., that in the village of Palitana…., there is a place of worship belonging to the Hindoos, that is called Sataranja, and that the people of the surrounding districts come there on a pilgrimage. The order of the highly dignified abovementioned Village has been granted from the beginning of the season of Kharif Nijuit (i.e. harvest time) as an Inam to the abovementioned person, the best of grandees…..'

याने '.....शांतिदास ज़वेरी ने सभा में पेश किया कि,....पालीतणा गाँव में... शत्रुंजय पर्वत हिन्दुओं का उपासना स्थल है । जो शेत्रुंजा के नाम से प्रसिद्ध है और जहाँ आसपास से लोग यात्रा के लिए आते हैं ।....हम आदेश देते हैं कि.....उपरोक्त गाँव खरीफ के मौसम से उपरोक्त व्यक्ति को इनाम में देते हैं ।....'

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

इस फरमान को पुन: निश्चित करता हुआ सन् 1657 में बादशाह शाहजहाँ द्वारा जारी किया गया फरमान देखिए ।

'….The Parganah of Palitana (is)….that is called Satranja and was given as a Jagir to (my) fortunate son….the same has been given as an Inam as abovementioned to Santidas, the jeweler….'

याने '..... पालीतणा परगना... जो शेत्रुंजा के नाम से जाना जाता है और जो मेरे भाग्यशाली पुत्र को जागीर के तौर पर दिया गया था, वह उपरोक्त शांतिदास ज़वेरी को इनाम के तौर पर दिया जाता है....'

उपरोक्त इनाम को पुन:स्थापित करनेवाला सन् 1657-58 में मुरादबक्ष द्वारा दिया गया आदेश देखिए ।

'……Purgunnah of Palitana….is also called Istrinja is by former Sunnud conferred on Santidas Juwaharee as an Enam or gift, the said Santidas, has presented the Petition praying that in this manner a new high command should be given. The world binding mandate is therefore now issued declaring that we confirm to the said Santidas and to his descendants the Enam or gift he held by former Sunnud and a Royal patent….Dewans and….to respect the said Gift according to….'

याने '....पालीतणा परगना... जो शेत्रुंजा के नाम से जाना जाता है और जो पूर्व की सनद द्वारा शांतिदास ज़वेरी को इनाम के रूप में दिया गया है । उसके लिए शांतिदास सेठ ने निवेदन किया है कि, इस प्रकार का नया आदेश जारी किया जाएँ । अत: नया आदेश दे रहे हैं कि, शांतिदास एवं उसके वंशजों को इनाम या भेंट जो पूर्व की सनद द्वारा दी गई थी, उसे सभी जागीरदार आदि ... सन्मान दे...'

उपरोक्त इनाम को पुन: मज़बूती देता सन् 1658 में औरंगज़ेब द्वारा दिया गया फरमान देखिए ।

'….Santidas the jeweller has represented to the noble, most holy… the court that….the district of Palitana, which is called Satranja….the revenue of which is two lacs of Dams had been settled as a perpetual Inam on the slave (the petitioner) and that he (the petitioner therefore hopes that a glorious edict may also be granted by our court. Therefore in the same manner as before we have granted (to the petitioner) the abovementioned district as a perpetual Inam…'

याने '....शांतिदास ज़वेरी ने दरबार में निवेदन किया कि,.... पालीतणा जिला जो शेत्रुंजा के रूप में जाना जाता है...जिसका राजस्व 2 लाख दाम है, वह स्थायी रूप से इस गुलाम (शांतिदास ज़वेरी) को दिया गया है । अत: वह चाहता है कि इस दरबार से उसे आदेश जारी किया जाएँ । इसलिए जिस तरह पहले इस याचिकाकर्ता को हमने दिया था, उस तरह उपरोक्त जिला हम हमेशा के लिए इनाम के तौर पर देते हैं....'

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

उपरोक्त फरमानों को सूक्ष्मता से देखा जाएँ तो पता चलेगा कि तीर्थ पर श्रीसंघ की मलिकी है या थी - ऐसा कोई भाव इनमें दर्शाया नहीं गया है । ऐसा भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि भूतकाल में हीरविजयसूरि महाराजा को फरमान दिए गए थे । उलटा, इस तीर्थ को शांतिदास ज़वेरी को मिले एक इनाम के तौर पर खतिया दिया गया है, जिसका अर्थ शाहजहाँ ने किया वैसा कोई भी कर सकता है कि तीर्थ पहले राज्य के अधीन था और अब शांतिदास सेठ को इनाम के तौर पर दिया गया है । कितना बड़ा अनर्थ हो गया !!! हमारे तीर्थ पर चली आ रही जैन संघ की मलिकी के बदले राज्य का अधिकार स्थापित कर दिया गया ।

एक गृहस्थ जब धर्माचार्य को हटाकर श्रमणप्रधान चतुर्विधसंघ का प्रतिनिधि बन बैठे तब कैसी भयंकर दुर्घटना होती है यह देखा जा सकता है । फैसले में उल्लेखित मुसलमान लेखक के ऐतिहासिक पुस्तक के पृष्ठ नं. 81 पर लिखा गया है कि -

'....Shantidas plays during this period the part of a trusted representative of the Jain community in the same way as the great Achary Hirvijay Suri had done at an earlier date in the regin of Akabar….'

याने '..... अकबर के वक्त महान आचार्य श्री हीरविजयसूरिजी ने जिस प्रकार जैन संघ के प्रतिनिधि की भूमिका निभाई थी, उस प्रकार शांतिदास सेठ जैन समुदाय के विश्वसनीय प्रतिनिधि के रूप में भूमिका अदा कर रहे थे...' । भगवान द्वारा अधिकृत रूप से स्थापित जैनाचार्य कहाँ और कहाँ एक श्रावक !!! दोनों श्रीसंघ के लिए समान भूमिका निभाएँ तो कैसे चल सकता है ?

उपरोक्त महाअनर्थ को ऐतिहासिक तरीके से समर्थन मिले ऐसा एक और कदम शांतिदास सेठ ने उठा लिया। प्रसिद्ध जैन इतिहास ग्रंथ 'जैन परंपरानो इतिहास' प्रकरण नं. 58 पृ. नं. 138 पर कहा गया है कि

'....अब सं. 1713 में श्री शत्रुंजय पहाड़ और पालीतणा भेंट के रूप में मिलने के बाद भट्टारक श्री राजसागरसूरि की अध्यक्षता में शत्रुंजय के विशाल यात्रासंघ का आयोजन किया था । वहां उन्होंने भगवान श्री ऋषभदेव के पुराने परिकर की जगह नया परिकर बनवाकर भट्टारक श्री राजसागरसूरि के हाथों उसकी प्रतिष्ठा कराई और उसमें श्री शत्रुंजय भेंट के रूप में प्राप्त होने का उल्लेख कराया....'

शत्रुंजय भेंट में लेना - यह पहला बड़ा अनर्थ ! और उस महाअनर्थ को शिलालेख में अंकित करा देना – यह दूसरा बड़ा अनर्थ ! ये दोनों शांतिदास सेठ ने अपने हाथों से ही खडे कर दिए ।

शांतिदास सेठ के बारे में अन्य जानकारी भी देते हुए फैसले में (उल्लेखित पुस्तक में) पृ. 119 में कहा गया है कि -

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

'...We learn from them that Murad had borrowed at Ahemadabad, on the eve of the Civil War, the sum of Rs.5,50,000 from Manekchand, the son of Shantidas, and his brothers, and these orders were issued, at the request of Shantidas, for repayment of the loan….'

याने '....Civil-War (गृहयुद्ध) के प्रारंभ के समय में मुरादबक्ष ने शांतिदास सेठ के बेटे माणेकचंद और अन्यों से साढ़े पाँच लाख रूपये लिए थे । उस उधार को वापस लौटाने का फरमान शांतिदास सेठ की विनंती से मुरादबक्ष ने दिया था....'

सेठ परिवार मुगलों के समय में होनेवाले Civil-War (गृहयुद्ध) में कितना कार्यरत था – इस बात का अंदाज़ा उपरोक्त शब्दों से लगाया जा सकता है ।

फैसले के पृ. 120 पर इतिहास आगे बढ़ता है –

'....About four days after he had issued these Farmans, Prince Murad Bakhsh, as the result of his own folly, found himself a prisoner in his brother's tent…'

'....फरमान दिए जाने के चार दिन बाद अपनी भूल के कारण मुरादबक्ष अपने भाई (औरंगज़ेब) की छावनी में कैदी के रूप में पकडा गया....'

अब वो रूपये पुन: प्राप्त करने के लिए औरंगज़ेब जैसे क्रूर व्यक्ति की शरण में जाने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं बचा था । इसलिए औरंगज़ेब से इस उधार संबंधित फरमान लिया गया । उस फरमान में औरंगज़ेब लिखता है कि,

'....Prince Murad Bakhsh has taken at Ahmedabad (as a loan) the sum of five lakhs and fifty thousand rupees….and this has been the cause of anxiety to the servant….

Therefore on account of our kindness and generosity, we grant the sum of one lakh of rupees from the royal treasury….'

याने '....मुरादबक्ष ने अहमदाबाद में साढ़े पाँच लाख रुपये उधार लिए थे, जिससे सेवक (शांतिदास ज़वेरी) चिंतित थे.... इसलिए हमारी भलाई और उदारता के नाते हमारे राजकोश से हम एक लाख रूपए दे रहे हैं....'

अब हम औरंगज़ेब की भलाई का फल दर्शानेवाली फैसले के पृ. 120 और 121 पर दी गई जानकारी देखते हैं-

'....The very day (August 10, 1658) on which Shantidas secured from Aurangzeb the Farman referred to above, granting him one lakh of Rupees on account of the loan made to Murad Bakhsh, he received from the same victorious Prince another Farman (Plate XVIII)giving him gracious permission to return to his native city of Ahmedabad…. Prince, who was still engaged in the struggle against Dara, was desirous

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

to be friend so powerful of financier as Shantidas, and to attach him to his cause. Moreover, the document reveals Aurangzeb's anxiety to assure the people of the important province of Gujarat, where Murad Bakhsh had proclaimed himself Emperor, of his solicitude for their welfare, for orders are given to Shantidas that 'after his arrival there (i.e. Ahmedabad),he should announce to all the business people, and to the Mahajans and to all the inhabitants, our desire for just administration and our regard for our subjects, so that all may pursue with composure of mind and satisfaction of heart their respective occupations and professions….'

याने '....जिस दिन मुरादबक्ष के उधार के एक लाख रूपए पुन: प्राप्त करने का फरमान शांतिदास सेठ को औरंगज़ेब से मिला, उसी दिन उन्हें अहमदाबाद जाने की अनुमति प्रदान करता फरमान मिला था ।'

इस फरमान का महत्त्व इसलिए है कि उस वक्त राजकुमार औरंगज़ेब राजगद्दी की लड़ाई में व्यस्त था । फिर भी उसे शक्तिशाली पूंजीपति शांतिदास के साथ अपने निजी कारणों से मित्रता रखनी थी । (अपने विपक्षी मुरादबक्ष का तरफदार होने के बावजूद) ।

उपरोक्त फरमान से औरंगज़ेब की महत्त्वाकांक्षा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहां मुरादबक्ष ने खुदको सम्राट के रूप में घोषित किया था वैसे महत्त्वपूर्ण गुजरात राज्य में लोगों को विश्वास में लेने के लिए उपरोक्त फरमान में शांतिदास सेठ को आदेश दिया गया था । अहमदाबाद के महाजन, निवासी और व्यापारी वर्ग में शांतिदास सेठ को घोषणा करनी है कि – 'हमारी (औरंगज़ेब की) इच्छा न्यायपूर्ण राज्य चलाने की है । राज्य के नागरिकों के प्रति हमें आदर है....'

उपरोक्त शब्दों से समझा जा सकता है कि आंशिक उधार की भी भरपाई होने के बदले सेठ परिवार को किसकी सत्ता का प्रचार करने के लिए सक्रिय होना पडा । जिस व्यक्ति ने धर्मांध बनकर जैन धर्मस्थानों को ध्वस्त किया, जो देश और समाज के लिए भयंकर जोखिम रूप था, उसकी सत्ता को जमाने के लिए अपने सामाजिक वर्चस्व का उपयोग करने की नौबत उनके सर पर आई ।

यहाँ एक और बात खुलती है कि ऐसे बादशाह भी जिसकी दोस्ती चाहते हो, अपने विरोधी के उधार की भरपाई खुद करा देते हो, उनके पास से हीरविजयसूरिजी का फरमान मंज़ूर करवाना – यह सेठ के लिए बाएँ हाथ का खेल गिन सकते है, फिर भी खुद के नाम पर तीर्थ ले लेना – इसे धर्माचार्यों की सत्ता को चुनौती देने की प्रवृत्ति के सिवा और क्या कहा जा सकता है ?

अब फैसले के पृ. नं. 123 पर दी गई टिपण्णी ध्यान खींचती है । उसमें उल्लेखित पुस्तक के लेखक खान बहादुर कहते हैं कि

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

'....Two of them (Nos. IV and V) dated 1642, bear orders to the royal officials at the various ports to give protection and safe-conduct to the agents of Shantidas who frequented the Mughal ports, or Bandars for the pupose of buying jewels….'

याने '....उनके दो फरमान (नं. 4 और 5) जिसमें सन् 1642 में राज्य के अधिकारियों को दिया गया आदेश है, उसमें शांतिदास सेठ के एजंटों को, जो मुगल बंदरगाहों पर व्यापारिक गतिविधियाँ करते हो, उन्हें सुरक्षा देने का आदेश है....'

जिस प्रकार शांतिदास सेठ अपने राजकीय संपर्कों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए करते थे, उसी प्रकार व्यक्तिगत व्यापार, अपने वंशजों, अपनी संपत्ति आदि की रक्षा के लिए भी राजकीय संबंधों का उपयोग करते थे - ऐसी हकीकत यहां स्पष्ट होती है ।

शाहजहाँ द्वारा दिए उन फरमानों के शब्द पढ़ते हैं ।

'….Shantidas, who is devoted servant of Islam (Muti-ul-Islam)….Further, the governor of the province (i.e.Gujarat), the diwan, the bakhhshi, and other royal servants who are in the Subah of Ahemadabad, should not interfere with the haveli, the shops, the garden and other property of the above-mentioned as long as he is alive, and after his death, his property, consisting of buildings, etc, should be considered as belongings of his heirs….'

याने '....शांतिदास, जो इस्लाम (Muti-ul-Islam) के समर्पित सेवक है.... गुजरात आदि राज्य के शासक आदि उपरोक्त व्यक्ति जीवित हो तब तक उनकी हवेली, दुकानें, बगीचा और अन्य संपत्तियों पर अतिक्रमण न करें और उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति उनके वंशजों के पास ही रहनी चाहिए....'

अपनी संपत्ति आदि की सुरक्षा एवं व्यापार के लिए इस्लाम का समर्पित सेवक कहलाकर भी उन्होंने ऐसे फरमान प्राप्त किए ।

उन फरमानों पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध जैन इतिहास ग्रंथ 'जैन परंपरानो इतिहास' में प्रकरण -58 पृ. नं. 137 पर त्रिपुटी महाराज कहते हैं कि,

"सेठ शांतिदास की पेढ़ी बादशाह शाहजहां, उनके शहज़ादों और सूबाओं आदि के लिए फली-फूली बैंक थी। उन्हें जब चाहे तब और जितनी चाहे उतनी रकम वहां से मिल सकती थी ।

दूसरी ओर दादागीरी के आदी बन चुके उपद्रवकारी मुसलमान हिंदुओं के घरों में से धन, माल-मिल्कियत, अनाज, घोड़े, गाय आदि और स्त्री-कन्याओं आदि को उठा ले जाते और मकान, बगीचे, संपत्ति आदि पर कब्जा कर बैठ जाते थे ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

उपद्रवकारी मुसलमान, नगरसेठ के परिवार एवं मकानों को नुकसान न पहुँचाएँ – यह सुनिश्चित करने के लिए बादशाह शाहजहाँ ने गुजरात के सूबाओं पर उन सबकी सुरक्षा का फरमान लिखकर भेजा और सभी को सावधान किया था ।"

इस टिप्पणी पर किसी नई टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है । लेकिन मुगल सम्राटों के साथ घनिष्ठ संबंधों की कडी दर्शाते हुए त्रिपुटी महाराज 'जैन परंपरानो इतिहास'में प्रकरण नं. 58 पृ. नं. 142 पर लिखते हैं कि -

"सन् 1657-58 (वि. सं. 1713-14) में शहज़ादे औरंगज़ेब एवं शहज़ादे मुरादबक्ष – दोनों ने मिलकर लुटेरे कानजी कोली को पकड़ने के लिए एवं उज्जैन के राजा जसवंतसिंह को जीतने के लिए 88 हज़ार सैनिकों की सेना तैयार करने के लिए सेठ शांतिदास से पास पाँच लाख रुपए की बड़ी रकम मांगी थी ।

अत: सेठ लक्ष्मीचंद ने शहज़ादे मुरादबक्ष को वह रकम दी...."

देशी राजाओं का सफाया कर भारतभर में मुसलमान सत्ता थोपने के मुसलमान सत्ताधीशों के मिशन को सेठ परिवार का कितना समर्थन था- वह यहां स्पष्ट हो रहा है ।

फैसले में उल्लेखित पुस्तक के विवरण से 'जैन परंपरानो इतिहास' पुस्तक पर हम क्यों पहुँच गए ? ऐसा प्रश्न वाचकों को होगा । मुद्दा यह है कि जैनशासन के व्यवस्थातंत्र को भारी नुकसान पंहुचाने वाले, जैनाचार्य जो शासन के मालिक है उन्हें हाशिए पर धकेलकर खुद शासन के कर्ताधर्ता के तौर पर बन बैठने वाले व्यक्ति के ऐसे कृत्यों के पीछे क्या कारण हो सकता है ? इस बारे में विचार करते करते 'जैन परंपरानो इतिहास' में से भी कुछ दिशा मिली, अत: उसकी भी चर्चा कर लेनी उचित लगी ।

शांतिदास सेठ का परिचय कराने वाली, धर्मक्षेत्र में धर्माचार्यों को हाशिए पर धकेलकर मनमानी करने की उनकी कार्यपद्धति को दर्शाती हुई एक-दो घटनाओं का 'जैन परंपरानो इतिहास' पुस्तक के प्रकरण-58 में पृ. नं. 128 और 129 पर उल्लेख किया गया है । उन्हें शब्दश: पढ़ते हैं ।

"....नगरसेठ शांतिदास ने संवेगीगच्छ के 58 वें भट्टारक श्री विजयसेनसूरि को विनंती कर पूरे मान-सन्मान के साथ अहमदाबाद में पदार्पण करवाया और अवसर देखकर विनंती की कि – 'आपश्री कृपया पं. नेमिसागर गणी एवं पं. मुक्तिसागर गणी को उपाध्याय बनाएं ।'

गच्छनायक ने सेठ शांतिदास की विनंती से सं. 1665 में अहमदाबाद में सिर्फ पं. नेमिसागर गणी को ही उपाध्याय पद दिया, लेकिन पं. मुक्तिसागर गणी को उपाध्याय पद नहीं दिया ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

सेठ खुश हुए और गच्छनायक से पगड़ी उतारकर विनंती की कि – 'अब पं. मुक्तिसागर गणी को उपाध्याय पद दीजिए ।'

गच्छनायक ने शांति से उत्तर दिया कि, 'महानुभाव ! मैं आपकी भावना समझता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो कि पद जिस किसी को खैरात करने योग्य या घर घर बाँटने योग्य वस्तु नहीं है । वह किसे देना, किसे न देना, कब देना, कब न देना - इन सभी बातों का विचार करना पड़ता है ।'

गच्छनायक इतना स्पष्टीकरण कर मौन रहे । जवाब सुनकर नगरसेठ को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने "जैसी आप की मर्ज़ी" कहकर उस वक्त मन में ही तय किया कि,

'अब मैं उपा. श्री नेमिसागर को भट्टारक बनाकर, पं. श्री मुक्तिसागर गणी को उन्हीं के हाथों उपाध्याय बनाकर, फिर आचार्यपद दिलाकर उपाध्याय श्री राजसागर गणी और फिर आ. राजसागरसूरि बनाऊंगा ।'

भट्टारक श्री विजयसेनसूरिजी ने पं. श्री मुक्तिसागर को उपाध्याय नहीं बनाया, इसलिए आ. श्री विजयदेवसूरिजीने भी पं. श्री मुक्तिसागर को उपाध्याय पद नहीं दिया ।

भट्टारक श्री विजयदेवसूरि सं. 1679 में चातुर्मास हेतु खंभात में स्थित थे । और खंभात के नगरसेठ व्यावहारिक कार्य के लिए चातुर्मास में अहमदाबाद आए । सेठ शांतिदास ने मौका देखकर सूबा की सत्ता अपने हाथों में लेकर खंभात के सेठ को अपने यहां अतिथि के तौर पर रखकर नजरकैद किया और रुआब से उन्हें कहा कि – 'सेठ ! आपको खंभात के पेड़ देखने है याँ नहीं ? यदि देखना चाहते हो तो खंभात में स्थित आ. श्री विजयदेवसूरि स्वयं पं. राजसागर गणी को उपाध्याय पद देकर आचार्य बनाने की स्वीकृति दे - ऐसा प्रबंध करोगे तो ही आप यहाँ से छूटकर खंभात जा सकोगे ।'

खंभात में सेठानी को इस बात का पता चलने पर वह तुरंत भट्टारक श्री विजयदेवसूरि के पास गई और आँखों में आंसुओं के साथ गच्छनायक से अपने सुहाग की भीख मांगी और अहमदाबाद में सेठ की पूरी घटना सुनाई।

भट्टारक श्री विजयदेवसूरि ने पं. राजसागर गणी को उपाध्याय पद देने की मूक सहमति के प्रतीक में एक पत्र में अपने हस्ताक्षरों से 'श्रीजिनाय नमः' लिखकर उसमें वासक्षेप डालकर सेठानी को वह पत्र दिया ।"

याने वरिष्ठ गच्छाधिपति श्री सेनसूरि महाराजा ने शांतिदास सेठ की भावना का शास्त्रमर्यादा अनुसार उत्तर दिया, तो उन्होंने गुरु की आज्ञा से विरुद्ध जाकर भी गुरुओं के अधिकार में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दखलअंदाज़ी करने का निर्णय किया । उसके बाद वरिष्ठ गच्छाधिपति के पट्टधर देवसूरि महाराजा भी गुरु महाराज की इच्छानुसार उस साधु को पद देने के ज़रा भी इच्छुक नहीं थे, फिर भी निम्न कक्षा की दादागीरी के बल पर जिस शहर में

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

गच्छाधिपति बिराजमान थे वहाँ के निर्दोष नगरसेठ को राजकीय अधिकार से नज़रकैद कर हत्या की धमकी देकर गच्छाधिपति पर परोक्ष रूप से दबाव लाकर, जबरदस्ती पद की सहमति प्राप्त की ।

उसके बाद त्रिपुटी महाराज, शांतिदास सेठ ने धर्मक्षेत्र में जो अनिछनीय राजनीति घुसाई उसका वर्णन करते हुए उसी प्रकरण के पृ. 129 और 130 पर बताते हैं कि -

'....फिर सेठ शांतिदास ने सं. 1686 ज्येष्ठ सुद 14 के दिन अहमदाबाद में भगवान श्री महावीरस्वामी के जिनालय में महोत्सवपूर्वक उपाध्याय राजसागर गणी को आचार्यपद देकर, साथ ही अन्य मुनिराजों को उपाध्याय, पंन्यास आदि पद देकर, तपागच्छ के सागरगच्छ के चतुर्विध संघ की स्थापना की....'

सेठ शांतिदास ने सागरगच्छ के चारों संघों को विस्तृत करने हेतु साम, दाम, दंड और भेद - चारों नीतियों को अपनाया ।

कडुआमत के शाह कल्याणजी सं. 1685 में रचित पट्टावली में लिखते है कि –

"वि. सं. 1679 में थराद के कडुआमत और तपागच्छ के श्रावकों के बीच झगडा हुआ, जिसमें राधनपुर के तपागच्छ के युवा श्रावकों ने हंगामा मचाकर राधनपुर के कडुआमत का उपाश्रय तोड़ दिया । कडुआमत के जैनों ने बादशाह जहाँगीर से इस घटना की शिकायत कर न्याय माँगा ।

परिस्थिति ऐसी थी कि यदि ज्यादा जाँच की जाएँ तो इस घटना में राधनपुर के तपागच्छ के जैनों को दंडित होना पडे । अत: अहमदाबाद के नगरसेठ शांतिदास ने राधनपुर के तपागच्छ के युवाओं को कहा कि - "यदि आप हमारे सागरगच्छ में शामिल हो जाओ तो आप सभी को बचा लूँगा ।' इस प्रकार सभी से सागरगच्छ में शामिल होने का वचन लिया ।

फिर सेठ शांतिदास ने कडुआमत के जैनों को विश्वास दिलाकर कहा कि - 'आप यह केस वापस ले लो । मैं राधनपुर में आपका नया उपाश्रय बंधवा दूँगा ।'

नतीजन कडुआमत वालों ने केस वापस ले लिया । फिर राधनपुर के तपागच्छ के युवान सागरगच्छ में शामिल हुए और सेठ शांतिदास ने राधनपुर में कडुआमत का नया उपाश्रय बनवा दिया ।

दूसरी ओर तपागच्छ के युवा सागरगच्छ में शामिल हुए थे । उन्होंने उपाश्रय को खुद के अधिकार में लेना चाहा । इस प्रकार राधनपुर में तपागच्छ के सं. 1680 में दो भाग हुए । साथ ही उपाश्रय के भी दो भाग हुए...."

धर्मक्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाने, तपागच्छ में फूट डालने के लिए अपने राजकीय संपर्कों का उपयोग करने का दृष्टांत सेठ ने यहाँ पेश किया ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

फैसले में उल्लेखित ऐतिहासिक पुस्तक और अन्य ऐतिहासिक विवरण के आधार पर हमने देखा कि शांतिदास सेठ ने किस प्रकार धर्माचार्यों की सत्ता को चुनौती दी, किस प्रकार जैनशासन के व्यवस्थातंत्र के साथ छेडछाड की । साथ में यह भी देखा कि अपनी इच्छापूर्ति के लिए तपागच्छ में विभाजन भी कराया ।

यही पद्धति उनके वारिसों ने आज तक आनंदजी कल्याणजी पेढ़ी में अपनाई है । इसलिए जिनशासन में श्रमणप्रधान चतुर्विध संघ की सत्ता करीब 300 वर्षों से पुन:स्थापित नहीं हो सकी है । उलटा, आज तक तीर्थरक्षा आदि के लिए जिनाज्ञानुसार सच्ची सलाह देने वाले अनेक धर्माचार्य अपमानित - उपेक्षित हुए हैं । जैनों के बीच उनकी अनादेयता की गई है और धर्माचार्यों में परस्पर फूट डाली गई है ।

और तो और, पेढ़ी द्वारा संघ-शासन या तीर्थों के कार्यों से धर्माचार्यों को लगभग अज्ञात (अंधेरे में) ही रखा गया है, ताकि उनकी ओर से कोई अवरोध खड़ा न हो और सेठ परिवार के वंशज मनमाने तरीके से जिनशासन की अत्यंत उच्चतम ज़िम्मेदारियाँ प्रमादपूर्वक नगण्य समझकर थोडी-बहुत करके पूरी कर सकें । जो बड़ी भूलें या अक्षम्य अपराध हो उनका खामियाज़ा तो चतुर्विध संघ को हमेशा भुगतना ही पड़े । भूगर्भ में गुप्त रूप से अस्तव्यस्त तरीके से संजोकर रखे गए 300 वर्ष के दस्तावेज़ों की तटस्थता और स्वस्थतापूर्वक जाँच की जाएँ तो स्पष्ट खयाल आएगा कि शांतिदास सेठ के समय से यही सिलसिला चला आ रहा है ।

अरे ! यदि पेढ़ी ने अदालत में पेश किए गए उपरोक्त दस्तावेज़ों के ऐतिहासिक तथ्यों का यथोचित अमल किया होता तो सदियों पुरानी भूलों को सुधारा जा सकता था । सदियों पुरानी शासन की ज्वलंत समस्याओं को भी उपरोक्त फैसले द्वारा सुलझाया जा सकता था । लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है । आशा करते हैं कि पेढ़ी जल्द से जल्द भूलों को सुधार ले ।

यहां इतना तो प्रत्येक समझदार व्यक्ति समझ ही सकेगा कि सेठ परिवार और उनके वंशजों ने जितने भी जिनाज्ञानुसारी धर्मकार्य किए हो, उनकी तो हार्दिक अनुमोदना है ही और होगी ही । उस परिवार के प्रति हमें व्यक्तिगत तौर पर कोई राग-द्वेष नहीं है और होना भी नहीं चाहिए । सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकरों द्वारा सौंपी गई ज़िम्मेदारी और अति कठोर शास्त्रवचनों को जानकर यह व्यथा व्यक्त की है ।

बाकी, पेढ़ी का संविधान भी उसकी ऐसी ही कार्यपद्धति का सूचक है । क्योंकि उसमें धर्माचार्यों की सत्ता मान्य ही नहीं की गई है । इससे विपरीत,श्रावकों को ही तीर्थों के मालिक, सर्वेसर्वा, अधिकारी, प्रतिनिधि के तौर पर बताया गया है । नतीजन, वर्तमान गच्छाधिपति या आचार्य भगवंतों के पास भी वर्तमान राज्य के कानून अनुसार पेढ़ी को रोकने का अधिकार नहीं रहा है ।

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in

आनंदजी कल्याणजी पेढ़ी के अधीन तीर्थों का यदि सर्वेक्षण किया जाएँ तो खून के आंसु बहे - ऐसा तीर्थों का विनाश दिखाई देगा, ज़रूर पता चलेगा । लेकिन उसे देखने वाले, समझने वाले, विनाश को योग्य तरीके से रोकने वाले की फिलहाल शासन को अत्यंत आवश्यकता है । चतुर्विध संघ के समझदार श्रावक यदि समय रहते जागृत नहीं होंगे तो प्रतिनिधत्व का नुकसान कहाँ तक पहुँचेगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

इस विश्लेषण के तीनों भागों में हमने जो चर्चा की, उसके अनुसार फैसले आदि में सुधार कराना अति आवश्यक है । इस दिशा में शासन के सभी हितचिंतक प्रयत्न करेंगे - ऐसी आशा और अपेक्षा रखी है । अन्यथा शासन – तीर्थ को काफी बुरे फल भुगतने पड़ सकते हैं । शासनदेव से प्रार्थना है कि उपरोक्त आशा जल्द से जल्द पूरी हो ।

सकल संघ का मंगल हो यही शुभभावना....

हस्ताक्षर

[गच्छाधिपति आचार्य विजय युगभूषणसूरि]

Education Book Centre, 133, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road, Mulund (W), Mumbai 80, Ind
Whatsapp No.: +91 99300 11400 | Email: info@jyot.in